बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 04/5/26

क्रमांक: 167 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2026

//संशोधित अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंद्ध समस्त महाविद्यालय ।

विषयः वार्षिक पद्धति (नई शिक्षा नीति) स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष सत्र 2025-26 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्याँकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाऐं आयोजित कर अंक प्रेषित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत् वार्षिक पद्धति (नई शिक्षा नीति) के अन्तर्गत सत्र 2025-26 स्नातक प्रथम द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएँ अधिसूचना दिनांक से सैद्धांतिक परीक्षाओं की समाप्ति पश्चात् दो सप्ताह तक आयोजित कराया जाना निर्धारित किया गया है। कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तक प्रायोगिक परीक्षाऐं आयोजित कर **प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक प्रविष्ठि शीट पर परीक्षक के मूलतः (ओरिजनल) हस्ताक्षर के साथ विश्वविद्यालय के वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेब साइट www.bubhopal.ac.in पर परीक्षा आयोजन तिथि को ही अपलोड करवाने का कष्ट करें** । प्रायोगिक परीक्षाँक पर्ण/प्रतिपर्ण (foil/counter foil) केवल निर्धारित प्रपत्र पर आंतरिक परीक्षक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, मोबाइल कमांक पते एवं हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किये जावें इनके अभाव में अंक स्वीकार्य नहीं होंगे।

(1) स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित/स्वाध्यायी की प्रायोगिक परीक्षाएं एक साथ सम्पन्न की जानी है, किन्तु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र संख्या 120(एक सौ बीस) से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

(2) **यदि कोई बाह्य परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराने में असमर्थता व्यक्त करते है। तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्त पत्र के साथ बाह्य परीक्षक का इनकार (Refusal) आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करे।**

(3) प्रायोगिक परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति बाह्य परीक्षक के मानदेय देयक/देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से सलंग्न कर प्रस्तुत करना होगा (ज्ञातव्य है कि गोपनीय शाखा में प्राप्त होने वाले अधिकांश देयक इस पुष्टि के बिना प्रस्तुत किये जाते हैं कि संबंधित परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है)।

(4) प्रत्येक विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्राप्तांक विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में श्रेणीवार पृथक-पृथक निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा की ओर प्रेषित किये जावें।

(5) प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र के नियत स्थान पर बाह्य परीक्षक का नाम एवं मोबाइल कमांक की जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पुष्टि की जा सके।

(6) समस्त महाविद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि वे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि में ही प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करवाकर अंक निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित लिंक पर अपलोड करें तथा अकों की कागज प्रति **(Hard Copy)** भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।

(7) आफ–लाईन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यॉंकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी अकों की कागज प्रति **(Hard Copy)** भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरांत नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित देयक के साथ प्रस्तुत किये जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत ही भुगतान की प्रकिया सुनिश्चित की जावेगी । बिना नियुक्ति पत्र देयक स्वीकार्य नहीं होंगे।

महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्तरीय अंक – आंतरिक मूल्यॉंकन, परियोजना एवं मौखिकी के अंक भी अनुक्रमांक सहित विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड किये जावें । उक्त समस्त अंकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर प्रविष्ठि (upload) किये जाने के साथ–साथ समस्त प्रविष्ठ किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (Hard copy) में विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर (तीन प्रतियो में) पावती प्राप्त की जाना अनिवार्य है ।

महाविद्यालयस्तरीय परीक्षाओं (प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यॉंकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा) आदि में अनुपस्थित छात्रों की सूची की कागज प्रति (hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा में जमा कर पावती प्राप्त की जावे। **अंक प्रविष्ठि कागज प्रति पर बाह्य परीक्षक के मूलतः हस्ताक्षर के अभाव में अंक स्वीकार नहीं किये जावेगें।**

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक

भोपाल, दिनांक:04.05.2026

पृ.क्रमांक: 168 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2026

प्रतिलिपि :–

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल ।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करावें।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. नस्ती प्रति ।

सहा0–कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल